

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.11(8)नविवि/भोपालगढ़/2022


जयपुर दिनांक: 10/05/2022

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने भोपालगढ़ (जिला-जोधपुर) के नगरीय क्षेत्र, जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित होंगे, का सिविक सर्वेक्षण करने एवं मास्टर प्लान क्षितिज वर्ष-2041 तक के लिए तैयार करने हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर को एतद्द्वारा नियुक्त करती है:-

क्र. सं.	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में)	राजस्व ग्राम का नाम (अंग्रेजी में)	तहसील
1.	भोपालगढ़	BHOPALGARH	भोपालगढ़
2.	बासनी चौलावता	BASNI CHOULAWATA	भोपालगढ़
3.	बासनी थेड़ा	BASNI THERA	भोपालगढ़
4.	बासनी जसावता	BASNI JASAWATA	भोपालगढ़
5.	भोलारामनगर	BHOLARAMNAGAR	भोपालगढ़
6.	दयालूनगर	DAYALUNAGAR	भोपालगढ़

राज्यपाल की आज्ञा से


10/5/2022
(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- जिला कलक्टर, जोधपुर।
- मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
- अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
- वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
- अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, भोपालगढ़ (जिला-जोधपुर)।
- वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
- रक्षित पत्रालयी।

11
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय